PTCUL

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांकः 1706 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक 11 .11.2020

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में कार्यरत कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन तदर्थ अनुग्रह धनराशि (Adhoc Ex-gratia) के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. तदर्थ अनुग्रह धनराशि की सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों, जिनके पुनरीक्षित सातवें वेतनमानों के अनुरूप वेतनमान रू0 4600 ग्रेड पे (वर्तमान वेतन लेवल–7) तक है को ही अनुमन्य होगी। रू0 4600 ग्रेड वेतन का अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 6500–11000 तक के पद पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्हें समयबद्ध वेतनमान के रूप में उच्च वेतनमान वैयक्तिक रूप में अनुमन्य हो चुका है और उनकी प्राःस्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन नहीं हुआ है, को भी तदर्थ अनुग्रह अनुमन्य होगा।
2. तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान की सुविधा हेतु केवल वे कर्मचारी इन आदेशों के अन्तर्गत भुगतान के पात्र होंगे, जो दिनांक 31.03.2020 को नियमित सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2019–20 में 31 मार्च, 2020 तक न्यूनतम 6 माह की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा पूर्ण की हो। वर्ष के दौरान 6 महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को यथा अनुपात भुगतान किया जायेगा, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महिनों (महिनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित संख्या) के रूप में की जायेगी। वित्तीय वर्ष के मध्य माहों में सेवानिवृत्त / मृत होने वाले कर्मचारियों द्वारा इस अवधि में की गयी सेवा को आधार मानकर उन्हें / उनके उत्तराधिकारी को अनुग्रह धनराशि के भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।
3. तदर्थ अनुग्रह धनराशि की अधिकतम देय धनराशि रू0 7000 / –प्रतिमाह की परिलब्धियाँ पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात जिन कर्मचारियों की परिलब्धियाँ रू0 7000 / – से अधिक थी उनके लिए तदर्थ अनुग्रह धनराशि का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानो उनकी परिलब्धियाँ रू0 7000 / –प्रतिमाह हैं।
4. उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन जैसा कि क्रमशः मूल नियम 9(21)(1), 9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है, प्रतिनियुक्ति भत्ता और महंगाई भत्ते से होगा।
5. मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, उत्तराखण्ड विकास भत्ता, परियोजना भत्ता, विशेष भत्ता, आदि को परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
6. रू0 7000 / – प्रतिमाह की परिलब्धियों पर दिनांक 31.03.2020 को ग्राहय परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में रू0 7000 X 30 / 30.4 = रू0 6907.89 (पूर्णांकित रू0 6908.00) होगा।
7. ऐसे कर्मचारी जिनके विरूद्ध वर्ष 2019–20 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो गई हो या जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने के बाद वर्ष 2019–20 में कोई दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ अनुग्रह धनराशि देय नहीं होगी। साथ ही प्रवंचन (Fraud) अथवा विभाग के परिसर में उपद्रव अथवा हिसात्मक आचरण अथवा चोरी, कारपोरेशन के धन का दुरूपयोग या कारपोरेशन की सम्पत्ति की तोड़–फोड़ के आरोपों में लिप्त कर्मचारी तदर्थ अनुग्रह धनराशि पाने के हकदार नहीं होंगे।

क्रमशः.........2 / –

8. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ अनुग्रह धनराशि की आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

9. इस आदेश द्वारा स्वीकृत अनुग्रह धनराशि का कर्मचारियों को नकद भुगतान किया जायेगा।

10. तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान के लिये लेखा स्कन्ध द्वारा पृथक से प्राधिकार पत्र (लैटर ऑफ अथौरिटी) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी और कारपोरेशन के उक्त आदेशों के आधार पर ही स्वीकृत तदर्थ अनुग्रह धनराशि का भुगतान ग्राहय होगा।

11. तदर्थ अनुग्रह धनराशि का भुगतान कारपोरेशन के चालू वित्तीय वर्ष के आय–व्यय लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी–3 तद्दिनांक :

प्रतिलिपिः

1. प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को संज्ञानार्थ।

(अशोक कुमार जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)

पत्रांकः 1706 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी–3 तद्दिनांक :

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (परिचालन)/(परियोजना)/(मा0सं0)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II)/समस्त महाप्रबन्धक, पिटकुल................................।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/समस्त उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल..।
4. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयगत् आदेश को कारपोरेशन की वेबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल/समस्त आहरण वितरण अधिकारी...।
6. कट फाइल।

(अशोक कुमार जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)